vinetur

ब्रिटिश सरकार 1 फरवरी 2027 से शराब पर शुल्क 4.55% बढ़ाएगी

खुदरा विक्रेताओं ने कर ग्राहकों पर डाला तो शराब शुल्क में वृद्धि से वाइन की एक बोतल करीब 11 पेंस महंगी हो सकती है

मंगलवार, 24 नवंबर 2026



ब्रिटिश सरकार 1 फरवरी 2027 से शराब पर शुल्क की दरें 4.55% बढ़ाएगी और छोटे उत्पादकों के लिए कर राहत का दायरा बढ़ाएगी। बजट का यह फैसला बीयर, साइडर, वाइन और स्पिरिट्स की लागत और खुदरा कीमतों में वृद्धि कर सकता है, यदि कारोबारी बढ़ा हुआ कर उपभोक्ताओं पर डालते हैं।

मंगलवार, 24 नवंबर को प्रकाशित एक विश्लेषण में Institute of Alcohol Studies ने कहा कि यह वृद्धि Retail Prices Index (RPI) के अनुरूप है और शराब पर शुल्क में महंगाई से जुड़ी बढ़ोतरी का लगातार तीसरा साल है। सरकार ने कहा कि इस तरीके का उद्देश्य शराब उत्पादकों और आतिथ्य क्षेत्र के योगदान तथा शराब से होने वाले नुकसान को कम करने में शुल्क की भूमिका के बीच संतुलन बनाना है।

यह बदलाव ड्राफ्ट और गैर-ड्राफ्ट, दोनों तरह के उत्पादों पर लागू होगा। बजट में Small Producer Relief को भी अधिक उदार बनाया गया है। यह राहत एक तय उत्पादन सीमा से कम उत्पादन करने वालों के लिए है ; इसमें 3.5% से कम अल्कोहल मात्रा वाले कम-मजबूती के पेयों पर छूट की दर धीरे-धीरे घटाने का दायरा भी बढ़ाया गया है। पेय उद्योग के लिए इस बदलाव से कुछ छोटे ब्रुअर, साइडर निर्माता और अन्य उत्पादकों पर पड़ने वाला असर कुछ कम हो सकता है, जबकि बड़ी कंपनियों को अपने प्रमुख उत्पादों पर अब भी अधिक कर चुकाना होगा।

IAS के विश्लेषण के अनुसार, बजट के राजस्व अनुमान में RPI से जुड़ी इस बढ़ोतरी से कुल राजस्व में न तो वृद्धि और न ही कमी मानी गई है, क्योंकि महंगाई के आधार पर दरों में संशोधन को सामान्य प्रक्रिया माना जाता है। हालांकि, Small Producer Relief का विस्तार करने से राजकोष के राजस्व में सालाना करीब £10 मिलियन की कमी आने का अनुमान है।

संस्थान ने कहा कि आम तौर पर बिकने वाले कई उत्पादों पर शुल्क का हिस्सा उल्लेखनीय रूप से बढ़ेगा। 4.5% ABV वाली 440ml बीयर कैन पर शुल्क 45 पेंस से बढ़कर 47 पेंस होगा। 4.5% ABV वाले 440ml साइडर कैन पर यह 21 पेंस से बढ़कर 22 पेंस होगा। 11% ABV वाली 750ml वाइन की बोतल पर शुल्क £2.53 से बढ़कर £2.64 होगा। 37.5% ABV वाली 700ml स्पिरिट्स की बोतल पर यह £8.92 से बढ़कर £9.33 हो जाएगा।

IAS के मुताबिक, यदि इन बढ़ोतरी का पूरा भार ग्राहकों पर डाला गया तो औसत अल्कोहल मात्रा वाली बीयर की कैन करीब 2 पेंस, वाइन की बोतल 11 पेंस और स्पिरिट्स की बोतल 41 पेंस महंगी होगी। ड्राफ्ट बीयर या साइडर के एक पिंट की कीमत क्रमशः करीब 2 पेंस और 1 पेंस बढ़ेगी। दुकानों और बार में कीमतों पर वास्तविक असर अलग-अलग हो सकता है। संस्थान ने ऐसे शोध का हवाला दिया, जिसके अनुसार खुदरा विक्रेता अक्सर सबसे सस्ते उत्पादों पर शुल्क वृद्धि का कम और महंगे उत्पादों पर अधिक भार डालते हैं। ऐसा संभवतः उन खरीदों की कीमतें बचाए रखने के लिए किया जाता है जिनमें ग्राहक कीमत को लेकर अधिक संवेदनशील होते हैं।

बजट का यह फैसला एक दशक से अधिक समय के बाद आया है, जब शराब पर शुल्क अक्सर स्थिर रखा गया या नकद राशि के आधार पर घटाया गया। IAS ने कहा कि नवीनतम बढ़ोतरी के बाद भी फरवरी 2027 से लागू वास्तविक शुल्क दरें 2012/13 के स्तरों से काफी नीचे रहेंगी। उसके आकलन के अनुसार, वास्तविक मूल्य के आधार पर बीयर पर शुल्क 2012/13 से अब भी 33% कम होगा, ड्राफ्ट बीयर पर 42%, साइडर और स्पिरिट्स पर 26%, ड्राफ्ट साइडर पर 36% और वाइन पर 19% कम होगा। संस्थान का अनुमान है कि 2013-2032 के दौरान शुल्क में कटौती और उसे स्थिर रखने से राजकोष के राजस्व में £33.9 बिलियन की कमी आएगी, जबकि दरों को वास्तविक मूल्य के आधार पर बार-बार घटाया न गया होता।

जनस्वास्थ्य समूहों ने मोटे तौर पर इस कदम का स्वागत किया। IAS की मुख्य कार्यकारी Katherine Severi ने इसे “वित्तीय और नैतिक, दोनों दृष्टियों से जिम्मेदार” बताया, जबकि Alcohol Health Alliance के Ian Gilmore ने इसे “आगे की कार्रवाई के लिए स्वागतयोग्य आधार” कहा। Gilmore और Alcohol Change UK के Richard Piper ने कहा कि सरकार को इससे आगे बढ़कर ऐसा अल्कोहल शुल्क एस्केलेटर अपनाना चाहिए, जिसके तहत हर साल शुल्क में RPI से अधिक वृद्धि हो।

उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यापार संगठनों ने फैसले की अधिक आलोचना की। Scotch Whisky Association ने इस वृद्धि को “निराशाजनक झटका” बताया और कहा कि इससे व्हिस्की की कीमत में कर का हिस्सा 74% हो जाएगा। Wine and Spirit Trade Association ने फैसले को “हैरान करने वाला” कहा और दावा किया कि इससे राजकोष का राजस्व घटेगा। British Beer and Pub Association ने मिला-जुला रुख अपनाया : उसने कारोबारी दरों पर मिली सहायता का स्वागत किया, लेकिन चेतावनी दी कि शुल्क वृद्धि से पिंट की कीमत करीब 1 से 2 पेंस बढ़ेगी। पब जाने वालों का प्रतिनिधित्व करने और पब कारोबार का समर्थन करने वाले CAMRA ने छोटे ब्रुअरों के लिए सहायता और कुछ बंधित पब किरायेदारों के लिए प्रस्तावित अतिथि बीयर के अधिकार का स्वागत किया। हालांकि, उसका कहना था कि सरकार को पब में बिकने वाली बीयर और साइडर पर कर घटाना चाहिए था और सुपरमार्केट में बिकने वाली सस्ती शराब

पर शुल्क बढ़ाना चाहिए था।

पेय कंपनियों के लिए नवीनतम बजट के संकेत मिले-जुले हैं। उत्पादकों और खुदरा विक्रेताओं को अब 2027 तक करों की दिशा के बारे में अधिक स्पष्टता है, लेकिन शुल्क की ऊंची दर मुनाफे के मार्जिन पर दबाव डाल सकती है या चुनिंदा उत्पादों की कीमतें बढ़ाने की नौबत ला सकती है। इसका असर खास तौर पर वाइन और स्पिरिट्स पर पड़ सकता है, जिन पर नकद राशि के लिहाज से शुल्क अधिक है। दूसरी ओर, छोटे उत्पादकों और कम अल्कोहल मात्रा वाले उत्पादों के लिए बढ़ी हुई राहत, सीमित लागत के माहौल में प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रहे स्वतंत्र उत्पादकों के उत्पाद विकास और कर नियोजन को प्रभावित कर सकती है।